यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी के माह 09/2013 से 05/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सुश्री रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 17.06.2017 से 21.06.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जे.पी. गैरोला, व.ले.प. व श्री प्रेमचन्द्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.09.2013 से 16.09.2013 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2003 से 08/2013 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 09/2013 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	109260000	108018641	5276000	4678740	-	1838619
2015-16	-	-	115250000	108575611	6225000	4465726	-	8433663
2016-17	-	-	173060000	145000301	3911000	3741324	-	28229375

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 व 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18(i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- स्वीकृत लागत रू. 300.00 लाख की निर्माणाधीन भवन की शासकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने का प्रकरण पाया जाना।

राजकीय एम.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासनादेश सं. 440/XXIV(7/2016-37(2)/13 दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी के लाल बहादुर शास्त्री सभागार के पुनर्निर्माण हेतु रू. 300.00 लाख की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति प्रदान की गयी। इस संबंध में में जारी शासकीय दिशानिर्देशों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् पाये गये-

(1) किये गये निर्माण कारय् की गुणवत्ता का निरीक्षण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

(2) पूर्व निर्माण भवन के Salvage Value का आकलन PWD के माध्यम से कराकर भवन की जैसा है के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली के माध्यम से खुली बोली के द्वारा ऑक्शन किया जाये तथा प्राप्त होने वाली धनराशि का समायोजन परियोजना लागत में किया जाये।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि पूर्व में निर्मित लाल बहादुर शास्त्री सभागार को ध्वस्त कर उसी स्थल पर ऑडिटोरियम निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य का निष्पादन किया जा रहा था। निर्माम कार्य का निष्पादन उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. हल्द्वानी शाखा द्वारा किया जा रहा था। परंतु निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली तथा वित्तीय भौतिक रिपोर्ट एवं निरीक्षण कार्य सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा था। परंतु निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली तथा वित्तीय भौतिक रिपोर्ट एवं निरीक्षण कार्य सुनिश्चित कर शासन को महाविद्यालय द्वारा अवगत नहीं कराया जा रहा था। पूर्व निर्मित भवन के ध्वस्तीकरण के Salvage Value की अद्यतन स्तिथि अस्पष्ट पायी गयी। इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अन्तर दिया गया कि मात्र बुनियाद की खुदाई हुई है निरीक्षण नहीं किया गया है। नीलामी की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा महाविद्यालय को समर्पित नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर समयबद्ध रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाना था जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया। फलतः Salvage Value की प्राप्त राशि की सूचना शासन को प्रेषित न कर कार्यदायी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाना पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चतर अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- वित्तीय नियमों की अवहेलना कर धनराशि रू. 3.82 लाख व्यय किए जाने का प्रकरण।

(I) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 42(2) (ज) के अनुसार लोक निर्माण संगठन को सौपे गये मूल कार्य तथा मरम्मत/अनुरक्षण/रख-रखाव कार्य यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाना हो तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा इन नियमों एवं वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन के अनुसार प्रशासकीय सम्पादन एवं वित्तीय स्वीकृत दी जायेगी तथा कार्य सम्पादन हेतु समय से धनराशिया उपलब्ध करायी जाये। लोक निर्माण संगठन द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि कार्य निर्धारित समयावधि एवं प्राक्कलित धनराशि की सीमा में पूरा किया जाय। ऐसे लोक निर्माण का गठन सुनिश्चित करेगें कि उनके नियम एवं प्रकियाऐं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के असंगत न हो।

(II) उत्तराण्ड शासन के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सं. 562/XXVII(7)/2010 दिनांक 24.05.2010 के विवरण पत्र X-L (ठेके और टेण्डर) के अनुसार छोटे निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा सभी प्रकार के मरम्मतों के लिए टेन्डर/ठेके के लिए कार्यालयाध्यक्ष को आप-व्ययक प्राविधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रू. 1,00,000/- तक किन्तु शर्त यह है कि अनुदान विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हो।

कार्यालय प्राचार्य एम.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में लघु निर्माण हेतु क्रमशः 1,22,000/- व 2,60,000/- धनराशियों का कार्य सम्पादित किया गया था। Procurement Rule के तहत लघु निर्माण कार्य हेतु न तो प्रतिस्पर्धा हेतु स्थानीय अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार का निविदा/प्राकलन आमन्त्रित किए गये और न ही लघु निर्माण कार्य हेतु तुलनात्मक चार्ट तैयार किय गया। फलतः यह सुनिश्चित नही हो सका कि लघु निर्माण कार्य शासकीय दृष्टि से आर्थिक रूप से मितव्ययी है। आगे जांच में पाया गया कि लघु निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था/ठेकेदार से Security deposit भी जमा नहीं करायी गयी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में कार्य नियमानुसार कराया जाएगा।

उत्तर लेखापरीक्षा में तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि कार्यालय द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न कर मनमान ढंग से व्यय किया गया है।

अतः वित्तीय नियमों की अवहेलना कर धनराशि रू. 3,82,000/- (1,22,000+2,60,000) की व्यय के जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- कॉशनमनी धनराशि रू. 18,50,364.00/- को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण।

कॉशनमनी एक प्रत्याभूति धनराशि है, जिसे अचानक महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से होने वाली पुस्तक इत्यादि हानि की क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात यह धनराशि छात्रों को वापस कर दी जाती है। यदि छात्रों को वापस भी नहीं की जाती है तो इस धनराशि से पुस्तकें इत्यादि क्रय करने हेतु उच्च अधिकारियें की संस्तुति प्राप्त की जानी चाहिए।

एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कॉशनमनी संबंधी अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि रू. 18,50,364.00/- अवरूद्ध धनराशि पड़ी हुई थी। इस धनराशि को छात्रों को भी वापस नहीं किया गया और न ही व्यय करने के संबध में निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर महाविद्यालय ने स्पष्ट किया कि छात्र अपनी काशनमनी प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं करते है इस लिए धनराशि अवशेष है। इस धनराशि के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त के जाएगें।

अतः धनराशि रू. 18,50,364.00/- कॉशनमनी का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
99	2013-14	-	1-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य राजकीय एम.बी. स्नाकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)